दिनांक 09.04.2019 को पूर्वी तटबंध प्रमण्डल, सुपौल के अंतर्गत चल रहे विश्व बैंक संपोषित (BKBDP) पूर्वी कोशी तटबंध के कि0मी0 78.00 से 84.00 के बीच 17 अदद स्परों के पुनर्स्थापन एवं पुर्ननिर्माण कार्य (Package-1C) के प्रगति की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए:–

1. ई0 प्रकाश दास, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर।
2. ई0 ओम प्रकाश, अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा।
3. ई0 महेश प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, सुपौल।
4. श्री राजेश कुमार सिंह, योजका (इण्डिया) प्रा0 लि0।
5. श्री जय प्रकाश साह, प्रोजेक्ट कोऑडिनेटर, योजका (इण्डिया) प्रा0 लि0।

विश्व बैंक संपोषित (BKBDP) पूर्वी कोशी तटबंध के कि0मी0 78.00 से 84.00 के बीच 17 अदद स्परों के पुनर्स्थापन एवं पुर्ननिर्माण कार्य (Package-1C) की प्रगति की समीक्षा की गयी। कार्यपालक अभियन्ता के द्वारा बताया गया कि कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 16.36% है। उक्त कार्य हेतु कुल 74676m^3 बोल्डर की आवश्यकता है। संवेदक के द्वारा बताया गया कि 1400m^3 बोल्डर स्टॉक में है। कार्य को एकरारनामा के अनुसार मार्च 2020 तक पूरा किया जाना है। पूर्वी कोशी तटबंध के कि0मी0 78.30, 78.60, 82.80, 83.20 एवं 83.40 पूर्व अनुभव के आधार पर अतिसंवेदनशील स्पर रहा है। इस स्परों पर बाढ़ 2019 से पूर्व कार्य पूर्ण कराना आवश्यक है ताकि बाढ़ अवधि में नदी के दबाव को कम किया जा सके। कोशी नदी में बाढ़ 15 जून से बाढ़ अवधि प्रारम्भ हो जाती है। कार्यकारी अवधि काफी कम बचा है। ऐसी स्थिति में संवेदक को उक्त सभी स्परों पर अविलम्ब अतिरिक्त संसाधन एवं मजदूर की व्यवस्था कर बाढ़ से पूर्व Mega Geo bag का कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा भी इसपर अपनी सहमति व्यक्त की गयी। संवेदक के प्रतिनिधि, के द्वारा बताया गया कि उक्त स्परों के लिये 21000 m^3 बोल्डर की आवश्यकता होगी।

पूर्वी कोशी तटबंध के कि0मी0 78.00 से 84.00 के बीच सुरक्षात्मक एवं पुनर्स्थापन कार्य (Package-1C) के कार्य को संसमय करने हेतु योजिका (इण्डिया) प्रा0लि0 मिर्जाचौकी से बोल्डर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण सिल्लीगुड़ी एवं पाकुड़ का बोल्डर उपयोग करने का आदेश की मांग की गयी। कार्य के प्रगति एवं कार्यहित में संवेदक के अनुरोध पर अनुमोदित बोल्डर खदान मिर्जाचौकी के अतिरिक्त पाकुड़ तथा सिल्लीगुड़ी से भी विश्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप बोल्डर लाने का आदेश इस कार्यालय के पत्रांक–819 दिनांक 05.04.2019 द्वारा दिया गया है। कार्यपालक अभियन्ता भुगतान से पूर्व N M फार्म का सत्यापन कराकर भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न न हो।

संवेदक प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि उनका गुणवत्ता मद में काफी राशि काटकर रखा गया है। कार्यपालक अभियन्ता को निदेश दिया गया कि गुणवत्ता जाँचफल सक्षम संस्थान से प्राप्त होने के उपरान्त जाँचफल के आधार पर उक्त मद में काटी राशि का भुगतान तुरन्त कर दें। साथ ही संवदेक को निदेश दिया गया कि एकरारनामा में प्रावधानित कार्यो का अपने लैब में टेस्ट कराकर जांच प्रतिवेदन कार्यपालक अभियन्ता को समर्पित करें।

संवेदक के द्वारा उनके द्वारा समर्पित विपत्र के भुगतान में विलम्ब का मुद्दा उठाया गया। कार्यपालक अभियन्ता को निदेश दिया गया कि तुरन्त बील की समीक्षा कर अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

संवेदक के द्वारा कार्य स्थल से बिजली का पोल एवं अतिक्रमण को अविलम्ब खाली कराने का अनुरोध किया गया। अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा बताया गया कि विद्युत विभाग के द्वारा कार्य स्थल से पोल एवं ट्रान्सफॉमर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कार्य स्थल से अतिक्रमण खाली कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता आवश्यक कार्रवाई करेंगे। संवेदक प्रतिनिधि को Nose Portion के Under water कार्य को प्राथमिकता के आधार पर वर्षात् के पहले पूर्ण करने का निदेश दिया गया। संवेदक को गैबियन का लेसींग सही ढंग से करने का निदेश दिया गया।

उपस्थित संवेदक प्रतिनिधि को Environment impact को ध्यान में रखते हुए विशिष्टी एवं गुणवत्ता के अनुरूप कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

ह0/–
मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, वीरपुर।

ज्ञापांक................................../वीरपुर, दिनांक......................./2019।

प्रतिलिपि श्री बी0 विनय कुमार, योजका इण्डिया प्रा0लि0, 3–28/43 ए0बी0सी0ओ0 ट्रेड सेन्टर, द्वितीय फ्लोर, एन0एच0–66, कोटारा चौकी, मैगलोर–6, कैम्प ऑफिस, भीमनगर, सुपौल को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, वीरपुर।

ज्ञापांक................................/वीरपुर, दिनांक......................./2019।

प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमण्डल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वर्णित स्पर का कार्य कराना सुनिश्चित करें।

ह0/–
मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, वीरपुर।

ज्ञापांक................................/वीरपुर, दिनांक......................./2019।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

ह0/–
मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, वीरपुर।

ज्ञापांक......863......................./वीरपुर, दिनांक....13/04........./2019।

प्रतिलिपि श्री अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक, एफ0एम0आई0एस0सी0, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

e-mail

मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, वीरपुर।